न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मु.सं. 83/2024/प्रार्थना पत्र 6(ए)

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर

– प्रार्थी

बनाम

मुकन्दाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम चैलासी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थी

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक– 31.07.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर के आदेश दिनांक 17.09.2024 के संदर्भ में दिये गये निर्देश की पालना में पंचायत समिति धोद में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग की श्री बालाजी होटल एण्ड वेज रेस्टोरेंट, चैलासी, धोद में जांच की गई, जिसमें मौके पर होटल के संचालक श्री मुकन्दाराम उपस्थित मिले, जिनकी उपस्थिति में जांच करने पर निम्न तथ्य पाये– होटल परिसर में चाय, नाश्ता, खाना बनाने के लिये भारत गैस के 01 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा होटल में उपयोग में लिये जा रहे थे। मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री मुकन्दाराम से इनके कागजात के संबंध में पूछताछ की गई जिसमें इनके द्वारा कनेक्शन संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) के दुरूपयोग के संबंध में पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री मुकन्दाराम द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया जिस पर धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर कब्जे में लिया गया। मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर 01 सुपुर्दगी में विकम गैस एजेन्सी, सीकर के मैनेजर श्री वसीम खान को सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर फर्द चैकिंग, फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। जब्त 01 गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक/ मार्का	सील/ अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता किग्रा में	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/ टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्ध गैस का भार किग्रा में	वि वि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	32281T	सील भारत गैस	14.2	15.4	22.00	6.6	–

द्रवित गैस ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका निस्तारण धारा 6ए(2) ईसी एक्ट के तहत शीघ्र निस्तारण किये जाने के आदेश फरमावें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:38 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर विस्तृत जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "दिनांक 17.09.2024 को मेरे श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट ग्राम चैलासी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर पर प्रवर्तन निरीक्षक धोद की जांच में एक घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 32281टी पाया गया, जो कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

उक्त सिलेण्डर में पाये जाने के दौरान 6.6 कि.ग्रा. गैस थी, जो कि मौके मेरे द्वारा उक्त सिलेण्डर को रेस्टारेन्ट अथवा होटल के किसी कार्य में काम में नहीं लिया जा रहा था, प्रार्थी के रेस्टोरेन्ट वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर भी मौके पर था, प्रार्थी हमेशा अपनी रेस्टोरेन्ट पर वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर ही काम में लेता है। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 32281टी प्रार्थी के नाम का था तथा प्रार्थी का घर प्रार्थी की रेस्टोरेन्ट के पीछे ही अवस्थित है, उक्त सिलेण्डर का वासर खराब होने की वजह से रेस्टोरेन्ट पर रखा हुआ. था, गैस ऐजेन्सी की गाड़ी रेस्टोरेन्ट पर आती है, जिससे सिलेण्डर का वासर चेंज करवाने के उद्देश्य सिलेण्डर रख रखा था, मौके पर किसी प्रकार से घरेलू सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा ना ही कोई रेगुलेटर, चुल्हा आदि लगा रखा था। रेस्टोरेन्ट पर मेरे द्वारा केवल अघरेलू, वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता रहा है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत की गयी कार्यवाही को निरस्त किया जावें।"

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि जवाबदाता के उक्त होटल पर निजी उपयोग हेतु तीनों सिलेण्डरों को रखा गया था। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जब्तशुदा सिलेण्डरों को मुकन्दाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम चैलासी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर को वापिस नियमानुसार लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:58 IST
Reason: SelfAttested